उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या–58 / 2019

राज्य

बनाम्

होटल राज रसोई, प्रो० रवि शंकर चौरसिया,

पिता–अयोध्या प्रसाद चौरसिया, गोला रोड, रामगढ़

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

12/02/2022

– आदेश –

अभिलेख उपस्थापित। Designated Officer-cum-S.D.O, Ramgarh का पत्र संख्या–16, दिनांक–14.06.2019 द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की सुसंगत धारा अन्तर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है। प्रस्ताव के साथ खाद्य नमूना का जाँच प्रतिवेदन संलग्न है। प्राप्त प्रस्ताव में होटल राज रसोई, प्रो० रवि शंकर चौरसिया, पिता–अयोध्या प्रसाद चौरसिया, गोला रोड, रामगढ़, जिला–रामगढ़ को अभियुक्त बनाया गया है।

उक्त अनुशंसा प्रस्ताव के आलोक में वाद अंगीकृत करते हुए बनाये गये अभियुक्त को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ एवं अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि Designated Officer-cum-S.D.O, Ramgarh द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की सुसंगत धारा अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विधिवत् प्रक्रिया के तहत् जाँचोपरान्त अभियुक्त होटल राज रसोई, प्रो० रवि शंकर चौरसिया, पिता–अयोध्या प्रसाद चौरसिया, गोला रोड, रामगढ़, जिला–रामगढ़ को दोषी मानते हुए कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। इन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा–26, 27 & 52 के अन्तर्गत दण्ड निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया है।

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि Designated Officer-cum-S.D.O, Ramgarh द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् जाँच की कार्रवाई विधिवत् प्रक्रिया के तहत् नहीं की गई है। इन्होंने कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव को खारिज करने हेतु अनुरोध किया है।

निष्कर्ष :–

Designated Officer-cum-S.D.O. Ramgarh द्वारा प्राप्त अनुशंसा प्रस्ताव एवं Food Safety and Standards Authority of India से प्राप्त Report No.-CM:461/FSSAI/2018, Dated-16.12.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि "The above named accused person has thus contravened the rule and specified norms as laid down under the Food Safety and Standard Regulation 2011 and has rendered himself liable to be prosecuted u/s 3(1) (zx) of the Food Safety and Standard Act 2006."

आदेश :–

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए Designated Officer-cum-S.D.O, Ramgarh द्वारा प्राप्त अनुशंसा प्रस्ताव के आलोक में अभियुक्त होटल राज रसोई, प्रो० रवि शंकर चौरसिया, पिता–अयोध्या प्रसाद चौरसिया, गोला रोड, रामगढ़, जिला–रामगढ़ को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा–26, 27 & 52 के तहत् दोषी मानते हुए मो०–3,00,000/–रु० (तीन लाख रूपये) दण्ड स्वरूप निर्धारित किया जाता है। अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित दण्ड राशि को 90 दिनों के अन्दर विधिक कार्रवाई करते हुए अनुपालन करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति भेजे।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित
माधवी मिश्रा
12.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
12.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.02.14 14:41:53 +05:30
Location: 192.168.0.3